प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
<u>मुजफ्फरपुर</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

सभी विभागाध्यक्ष (नन क्लीनिकल / पारा क्लीनिकल / क्लीनिकल),
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

आज दिनांक – 28.04.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्पताल का किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकतर चिकित्सक शिक्षक / पारा मेडिकल कर्मचारी / चतुर्थवर्ग कर्मचारी अपने – अपने एप्रॉन / वर्दी में नही थे तथा उनके पास अपना पहचान – पत्र (Identity Card) भी नही था, जिससे कि इस महाविद्यालय अस्पताल के पदाधिकारी / कर्मचारी एवं मरीजो के बीच पहचान सम्भव हो सके ।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में एवं स्वास्थ्य विभागीय निर्देश के आलोक में ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, ताकि CWJC No. 6306/2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का शत – प्रतिशत पालन हो सके ।

पूर्व में भी इस चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत सभी चिकित्सक / शिक्षक / ईन्टर्न / हाउस सर्जन / अध्ययनरत छात्र छात्राएँ / प्रयोगशाला प्रावैधिक / संबंधित कर्मचारी / चतुर्थवर्ग कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड का पालन करने हेतु आदेशित है, परन्तु उक्त आदेश का पालन नही किया जा रहा है ।

अतएव पुनः निदेश दिया जाता है कि CWJC No. 6306/2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में आप सभी स्वयं सहित अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियो / कर्मचारियो से ड्रेस कोड का पालन शत – प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए तथा सभी पदाधिकारी / कर्मचारी अपने – अपने कर्तव्य पर वर्दी / एप्रॉन में कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान–पत्र (Identity Card) के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ।

औचक निरीक्षण में बिना वर्दी / एप्रॉन एवं पहचान–पत्र के पायें जाने पर संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी / पारा मेडिकल स्टाफ पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सरकार को सूचित किया जाएगा । इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

ह0 / –
प्राचार्य

ज्ञापांकः– 849/17 दिनांकः– 28-04-17

प्रतिलिपिः–1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3) सभी विभागध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4) प्रभारी प्राध्यापक (प्र0) / पुस्तकालय सचिव / Estate Officer / बरसर / ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5) संबंधित सभी पदाधिकारी / छात्र / छात्राएँ / पारा मेडिकल स्टाफ / संबंधित कर्मचारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचना पट्ट / विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6) कॉलेज सूचना पट्ट ।
7) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

28/4/17

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर